**आय-व्ययक 2022-23/अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु।**

**संख्याः XIV-1/09(04)/2014**

**प्रेषक,**

 **विजय कुमार यादव,**

 सचिव,

 उत्तराखण्ड शासन।

**सेवा में,**

 **गन्ना एवं चीनी आयुक्त,**

 उत्तराखण्ड, काशीपुर

 जनपद उधमसिहनगर।

**गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग देहरादून दिनांकः जून, 2022**

**विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

**महोदय,**

 उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या-17, के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 00-आयोजनेत्तर, 108-वाणिज्यिक फसलें, 08-अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान, 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 2500000000.00 के सापेक्ष पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 19.05.2022 एवं शासनादेश दिनांक 01.06.2022 द्वारा लेखानुदान में आवंटित धनराशि रू0 83,33,33,000.00 के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 1666667000.00 के सापेक्ष धनराशि रु0 1400000000.00 (रू0 एक सौ चालीस करोड मात्ऱ) संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा संबंधित अधिष्ठान हेतु आवश्यकतानुसार फॉट आपके स्तर से निर्गत की जायेगी।

(2) शासकीय सहायता स्वरूप अवमुक्त की गयी धनराशि को आहरित कर सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को उपलब्ध काराया जायेगा तथा चीनी मिलों द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग मिल की ओर अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु किया जायेगा तथा इस धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य मद में कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि की फॉट मिलवार गन्ना आयुक्त द्वारा चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के अनुसार किया जायेगा।

(3) उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययता संबंधी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक द्वारा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। पेराई सत्र 2021-22 की बकाया राशि का सम्यक आगणन सहित सक्षम स्तर से प्रमाणित विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा एवं अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भुगतान की धनराशि का मिलवार विवरण उपलब्ध कराया जायगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन में समर्पित कर दिया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के भुगतान में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन होने पर इसके लिए संबंधित लेखाधिकारी/प्रधान प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-17 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 00-आयोजनेत्तर, 108-वाणिज्यिक फसलें, 08-अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान, 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जारी किये जा रहे हैं तथा उक्त शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-i/49133/2022, दिनांक 11 जुलाई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

**भवदीय,**

**(विजय कुमार यादव)**

**सचिव।**

**संख्याः XIV-1/09(04)/2014 तद्दिनांकित ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाऐं उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड़ देहरादून।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, काशीपुर/ऊधमसिंह नगर।

4- सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार/नैनीताल/देहरादून।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।

6- गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

**(देवेन्द्र सिंह)**

**उप सचिव।**